

राजस्थान सरकार

बाल अधिकारिता विभाग

20/198, सेक्टर नं.-2, कावेरी पथ, मानसरोवर, जयपुर

क्रमांक : एफ 22(7)(4)बा.अ.वि./कि.अ.वि./प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट नियुक्ति/2017/21445 जयपुर दिनांक - 29.08.2017

अधिसूचना

संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक प.1(13) न्याय/2009 दिनांक 22.08.17 द्वारा रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय का पत्रांक Gen/II/05/2016/1090 दिनांक 16.08.2017 की अनुपालना में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 4 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विधि से संघर्षरत किशोर/किशोरियों के प्रकरणों में अधिनियम व संगत नियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए गठित किशोर न्याय बोर्ड, बूंदी में प्रत्येक सप्ताह में 3 दिवसों पर बैठकें एवं श्रीगंगानगर जिले में प्रत्येक सप्ताह में 2 दिवसों पर प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट द्वारा किशोर न्याय बोर्ड की बैठकें आयोजित कर अधिनियम एवं संगत नियमों के अनुरूप बोर्ड के निर्धारित कार्यों का संपादन किया जायेगा।

— Sd —

(जे.सी.देसाई)

निदेशक एवं शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR.

No. Gen./II/5/2016/ 1156

Dated : 01/09/2017

Copy forwarded to following for information & necessary action:-

1. All Registrar, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench, Jaipur. Registrar (Classification)/CPC, RHC, Jodhpur with a request to upload the same at Rajasthan High Court website.
2. Concerned District and Session Judges.
3. Concerned Chief Judicial Magistrates.
4. Concerned Principal Magistrate, JJBs.
5. Administrative Officer Judicial, Confidential/ RJS (Estt.) Section, Subordinate (Estt.) Section, Statistics Section, Building, Budget, computer cell (for update & mail to concerned DJ), Rajasthan High Court, Jodhpur.


REGISTRAR (RULES)